

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Arms Appeal No.- 14/2025**

Kishore Kumar Singh Appellant

Versus

The State of Bihar Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	आदेश प्रस्तुत अपील वाद जिला शस्त्र दंडाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक-1621, दिनांक-20.10.2020 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-9531/2024 में दिनांक-26.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- - आवेदक REVOLVER No.-FGL-1150(1185) नामक शस्त्र धारित करते थे, जिसका अनुज्ञप्ति सं0-109/2010 है। जिला शस्त्र दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-1621, दिनांक-20.10.2020 के द्वारा आवेदक व अन्य 09 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया। - जिला शस्त्र दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-1621, दिनांक-20.10.2020 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-618, 619, 621, 622, 623 एवं 631/गो0(शस्त्र), दिनांक क्रमशः 09.10.2020, 10.10.2020 एवं 16.10.2020 के द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर संबंधित थानाध्यक्ष के द्वारा शस्त्र सत्यापन करने हेतु तिथि निर्धारित की गई। जिसकी सूचना संबंधित शस्त्रधारियों को नोटिस, दूरभाष एवं चौकीदार के माध्यम से दिया गया, परन्तु संबंधित शस्त्रधारी के द्वारा निर्धारित अवधि में अपने शस्त्र का सत्यापन/निरीक्षण संबंधित थाना में नहीं कराया गया। उक्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को अस्थायी रूप से रद्दीकरण करने हेतु अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में जिला दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश दिनांक-18.10.2020 (संचिका संख्या 10-01/2020) के द्वारा संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने हेतु आदेश दिया गया। तदनुसार जिला शस्त्र दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-1621, दिनांक-20.10.2020 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को निदेश दिया गया कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र को जप्त/प्राप्त करते हुए अपने-अपने थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा रखना सुनिश्चित करेंगे।	



82

- आवेदक द्वारा निलंबित शस्त्र को निलंबन से मुक्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी, कटिहार के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति अभिलेख संख्या-02/2024 में सुनवाई की गयी। सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "शस्त्रधारी श्री किशोर कुमार सिंह के विरुद्ध मुफस्सिल थाना कांड सं0-57/2020, दिनांक-26.2.2020 धारा-306/385/386/387/504/120बी0/34 भा0द0वि दर्ज है तथा आरोप पत्र सं0-143/22 दिनांक-28.05.2022 को समर्पित किया गया है।" जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा आवेदक के अपराधिक कृत्य में शामिल होने तथा अपने शस्त्र का बिना यथेष्ट कारण का सत्यापन ससमय करवाने में असफल रहने के आलोक में उक्त आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

आवेदक का कथन :-

- बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के आलोक में संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा शस्त्र सत्यापन करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु वे ससमय शस्त्र सत्यापन कराने में असमर्थ रहे, जिसके उपरान्त आवेदक द्वारा अपने शस्त्र को थानाध्यक्ष, सहायक थाना, कटिहार के समक्ष दिनांक-27.10.2020 को जमा कराया गया।
- उनका कहना है कि शस्त्र सत्यापन कराने हेतु जो समय निर्धारित की गयी थी उस समय कोविड-19 के संक्रमण का खतरा था और आवेदक भी बीमार चल रहे थे, जिस कारण वे शस्त्र का ससमय सत्यापन कराने में असमर्थ रहे।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- थानाध्यक्ष, सहायक थाना, कटिहार से प्राप्त जिम्मेनामा की छायाप्रति।
- जिला दंडाधिकारी, कटिहार को विभिन्न तिथियों में प्रेषित आवेदन की छायाप्रति।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार में समर्पित किये गये सनहा की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिला दंडाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक-1621, दिनांक-20.10.2020 द्वारा पारित आदेश के अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर शस्त्र सत्यापन करने हेतु आवेदक को विधिवत सूचना निर्गत की गयी थी, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित समय पर शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक-238 दिनांक-01.06.2024 द्वारा निम्न न्यायालय में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री किशोर कुमार सिंह के विरुद्ध मुफस्सिल थाना कांड सं0-57/2020, दिनांक-26.2.2020 धारा-306/385/386/387/504/120बी0/34 भा0द0वि दर्ज है तथा



9

आरोप पत्र सं०-143/22 दिनांक-28.05.2022 को समर्पित किया गया है।" जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा आवेदक के अपराधिक कृत्य में शामिल होने तथा अपने शस्त्र का बिना यथेष्ट कारण का सत्यापन ससमय करवाने में असफल रहने के आलोक में उक्त आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में कोई नवीन बिन्दु/साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है, जिससे जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित आदेश का खंडन हो सके।

अतः उपरोक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।


आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

